फर्द अहकाम

न्यायालय :– अति. जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

महेन्द्र कुमार बनाम रतीराम वगैरह

संख्या :– 54/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19/01/2022	पत्रावली पेश हुयी। वकील अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण में संक्षेप में वृतान्त इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नामा.सं. 145 ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली स्वीकृत द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 16/9/94 के विरूद्व अपील पेश की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में वर्णित किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 158 वाके मौजा बासडी तहसील कोटपूतली रास्ता राजकीय भूमि है, जो कदमी से बतौर रास्ता प्रार्थी व अन्य आमजन आने–जाने के उपयोग में आ रही है। साबिक ख.नं. 158 के हाल खसरा नम्बर 376/0.16 वाके मौजा बासडी बने है, जो साबिक रिकॉर्ड में सम्वत 2005 में रास्ता की भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नम्बर 376/0.16 ग्राम बासडी साबिक खसरा नम्बर 158 ग्राम बासडी भूमि को सैटलमेन्ट के दौरान रिकॉर्ड गलती से रास्ता की जगह सिवायच दर्ज कर दिया जबकि सैटलमेन्ट अधिकारी को रास्ते की भूमि को सिवायचक भूमि दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट रतीराम उमराव पुत्रान् ग्यारसीराम तथा दीनाराम ने भूमि कि किस्म बदलने का नाजायज फायदा उढाकर आवंटन कमेटी के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर दिनांक 09/9/1994 को गैर कानूनी रूप से आवंटन करा लिया। आवंटी दीनाराम का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिसान् रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 7 है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 मूल आवंटी है। उक्त गलत आवंटन के आधार पर नामा.सं. 145 दिनांक 16/9/1994 को स्वीकृत कराया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है, जबकि हाल आराजी ख.नं. 376/0.16 वाके मौजा बासडी जिसके साबिक ख.नं. 158 वाके मौजा बासडी रास्ते की भूमि है। आवंटन समिति द्वारा बिना मौके की जांच किये उक्त आवंटन रेस्पोडेन्ट के हक में करने की भारी भूल की है। इसके आधार पर उक्त नामा. 145 ग्राम बासडी को तहसीलदार द्वारा दिनांक 16/9/1994 को स्वीकार किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 16 के तहत रास्ते की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है तथा खातेदारी अधिकार भी नहीं दिये जा सकते है। रेस्पोडेन्ट के हक में किया गया गैर कानूनी आवंटन के आधार पर स्वीकृत किया गया नामा. आदेश 16/9/1994 निरस्त किया जावें। उक्त नामा. की जानकारी गत सप्ताह हुयी, जिस पर नामा. की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये प्रा.पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी	

जाकर नामा.सं. 145 ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली स्वीकृत दिनांक 16/9/1994 को निरस्त फरमावें।

अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी गैर सायल की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री जितेन्द्र रावत एडवोकेट उपस्थित आये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या की ओर से श्री बजरंगलाल शर्मा एडवोकेट आये शेष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । इसलिए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट का कथन है कि उपरोक्त आराजी हाल ख.नं. 376/0.16 वाके ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली साबिक खसरा नम्बर 158 से बने है जो साबिक रिकॉर्ड सम्वत 2005 में रास्ता की भूमि दर्ज है। सैटलमेन्ट के दौरान रिकॉर्ड की गलती से गै0मु0 रास्ता की जगह सिवायचक भूमि दर्ज कर दी जिसे सिवायचक भूमि दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था । भूमि की किस्म बदलने का फायदा उढाकर उक्त आराजी को रेस्पोडेन्ट व उनके बुजुर्गान द्वारा दिनांक 09/9/1994 को गैर कानूनी रूप से आवंटन करा लिया तथा उक्त आवंटन के आधार पर नामा. सं. 145 तहसीलदार कोटपूतली से दिनांक 16/9/1994 को स्वीकार करा लिया, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत् रास्ते की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता । इसलिए नामा. आदेश 16/9/1994 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावें।

रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा वकील अपीलान्ट की बहस का खण्डन करते हुये बहस में अभिकथन किया है कि पूर्व में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान आवंटन नियम 1970 के तहत् आवंटन को निरस्त कराने बाबत प्रकरण संख्या 40/2008 चौथमल बनाम दीनाराम वगैरह श्रीमान न्यायालय अति. जिला कलक्टर महोदय के पहां पेश किया था, जिससे दिनांक 17/12/2008 को उक्त प्रा.पत्र खारिज हो चुका है, जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकार जयपुर के यहां अपील संख्या 5/2009 चौथमल बनाम दीनाराम वगैरह पेश की गयी जो दिनांक 04/5/2010 को खारिज कर दी गयी, जिसकी चुनौती किसी दीगर न्यायालय में नहीं की गयी। ऐसी स्थिति में रेस्पोडन्ट का आवंटन दिनांक 09/6/1994 खारिज नहीं हुआ है। उक्त आवंटन के आधार पर ही उक्त नामा. सं. 145 भरा जाकर स्वीकार हुआ है। इसलिए उक्त अपील चलने योग्य नहीं है । खारिज फरमावें।

चूँकि उक्त प्रकरण में ख.नं. 376/0.16 वाके ग्राम बासडी प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत् हुआ । आवंटन 09/6/1994 इस न्यायालय में मु.नं. 40/2008 ब उनवान चौथमल बनाम

दीनाराम पेश किया था जिसमें आवंटन बाबत प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 14(4) खारिज किया गया था, जिसकी अपील होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा अपील संख्या 5/2009 व उनवान चौथमल बनाम दीनाराम में निर्णय पारित कर निर्णय में वर्णित किया कि आवंटी द्वारा किसी भी नियम की अवहेलना नहीं की है। ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट 04/5/2010 को खारिज की गयी है, जिसकी चुनौती कही नहीं दी गयी है। इसके उपरान्त भी प्रा.पत्र संख्या 40/2021 महेन्द्र कुमार बनाम रतीराम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) के तहत् आवंटन निरस्त कराने का पेश किया है जो दिनांक 19/01/2022 को खारिज हो चुका है। इस प्रकार निर्णय अन्तिम हो चुका है, जब तक अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी ख.नं. 376/0.16 बाबत हुआ आवंटन दिनांक 09/6/1994 खारिज नहीं करा लेते तब तक नामा.सं. 145 वाके मौजा बासडी तहसील कोटपूतली आदेश 16/9/1994 खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती हे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)